भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4694

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2019

शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण

4694. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे को बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण का प्रस्ताव है जिसमें आक्रमणकारियों के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए भारत के प्राचीन/मध्यकालीन/आधुनिक इतिहास के विवरणों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम**,** 2009 में प्रावधान है कि छह से चौदह वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए**,** 2018-19 से एकीकृत योजना समग्र शिक्षा की शुरूआत की है जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)**,** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)**,** और अध्यापक शिक्षा (टीई) को शामिल किया गया है। नई एकीकृत योजना स्कूल शिक्षा को प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अबाध क्रम के रूप में परिकल्पित करती है और इसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापरक को सुनिश्चित करने का है।

समग्र शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में गुणवत्तापरक शिक्षा और छात्रों के अधिगम परिणामों का संवर्धन, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतरालों को पाटने, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशिता को सुनिश्चित करने, स्कूल शिक्षा में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने, शिक्षा में व्यावसायिकरण का संवर्धन करने, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहायता प्रदान करने और राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/ राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) को सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

(ख): भारत के प्राचीन/ मध्य कालीन/ आधुनिक इतिहास से संबंधित सामग्री पहले ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) इतिहास पाठ्यपुस्तकों का भाग है। उदाहरण इस प्रकार हैं:

(i) कक्षा VI के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक, हमारे अतीत-I (प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित)

(ii) कक्षा VII के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक, हमारे अतीत-II (मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित)

(iii) कक्षा VIII के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक, हमारे अतीत-III (आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित)

(iv) कक्षा IX और X के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक: भारत और समकालीन विश्व-I और II (वृहद इतिहास में भारत को स्थान देते हुए समकालीन इतिहास से संबंधित)

(v) कक्षा XI के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक: विश्व इतिहास के विषय (विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित)

(vi) कक्षा XII के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक: भारतीय इतिहास के विषय, भाग-I (भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित)

(vii) कक्षा XII के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक: भारतीय इतिहास के विषय, भाग-II (भारत के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित)

(viii) कक्षा XII के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक: भारतीय इतिहास के विषय, भाग-III (भारत के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित)

*****